

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आभिलेख वाद संख्या—51/2020-21(II)...

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
03/09/2020	<p>वाद का प्रकार—बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्बाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक—2074/रा०, दिनांक—13.05.2016 सहपठित— श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू—अर्जन—सह—विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या—3—खा०म०निति—119/85/2308/रा०, दिनांक—03.09.1985 एंव सह—पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या—914/रा०, दिनांक—09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा— साधोवाड़ा थाना नं०—५८ खाता संख्या— 69 प्लॉट संख्या— 23३ रकबा— ५५० एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या— । के पृष्ठ संख्या— 143 पर जमाबंदी रैयत श्रीन्द्रोदय महले प्रिया बनगत महल के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़करं बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति करित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की, जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू—खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण—पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक— 19/09/2020 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">(6) ९/१० अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	

संदिग्ध/ संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जॉच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/ संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- जांदा॒शी गढ़ती॑
पि० जनपत्र गढ़ती॑

2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रक्खा
साथोवाट	५८	६९	२३५	५६७०

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या.....!..... पृष्ठ सं०-.....143..... पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है-

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- जरूरावा॒ट बाता॑

6. किस सक्षम प्राधिकार/ पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- भक्ति० ५१५८

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिवार्य सादा हुकुमनामा/ लगान निर्धारण /अवैध भूबन्दोवस्ती) - भक्ति० ५१५८

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जॉच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जर्मांदार द्वारा दाखिल रिटर्न/ बन्दोवस्ती पंजी/ लगान निर्धारण पंजी/ भू-हस्तांतरण पंजी) चौथी० ५१५८
भक्ति० ५१५८

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एंव वर्ष -

कम संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>उं० ३१०</u>	<u>उं० ८१०</u>	<u>जांकि० ५५४</u>	

मान्दा॒ट, जांकि० ५५४ द्वारा दिते वर्षीय अनुसार जरूरावा॒ट रकाते की भूमि
 है। संवारित पंची में अमावस्या ५०१४३ दर्ज है। भाविता॒ट कोलम में
 अक्त० ५१५८ के दृष्टि ५५ (११) १९६२ - ६३ अंकित है। उक्त अमावस्या
 संदेहास्पद भूमि होती है।

छत: अमावस्या २५। निष्पत्तीकरण हेतु अग्रर भास्त्राती

की अमावस्या है।

भक्ति० ५१५८ जरूरा॒ट